

आदेश की नं० सं० एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई की टिप्पणी सहित
1	2	3
	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अंकित है कि “मौजा-कर्माटिल्हा में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जांच किया। जांच में पाया कि 1. मौजा कर्माटिल्हा के पंजी 2 के पृष्ठ सं० 50/1 पर गैरमजरुआ खाता सं० 1 के अन्तर्गत प्लॉट सं०-176/496 रकबा-2.00 ए० का जमाबंदी मंजु देवी पति प्रमोद महतो के नाम से अंकित है। 2. पंजी 2 में उक्त भूमि का जमाबंदी कायम करने हेतु परिवर्तन के प्राधिकार में Sett. Case No.-172/2002-03 by the order of SDO Medininagar दर्ज है। 3. भूमि का लगान वर्ष 2011-12 तक वसूल है। 4. भूमि पर वर्तमान में मांगधारी का दखल कब्जा है। 5. बन्दोबस्ती पर्चा अनुमण्डल पदाधिकारी मेदिनीनर पलामू द्वारा बंदोस्ती केश सं० 172/02-03 द्वारा निर्गत मांगधारी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहस्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त जमाबंदी को संदेहस्पद/अवैध जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।” अतः अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर वाद की कार्रवाई.....<u>समाप्त</u> की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। <u>07/07/2025</u> अंचल अधिकारी, मनातू। <u>07/07/2025</u> अंचल अधिकारी, मनातू।	

सेवा में,
अंचल अधिकारी
मनाह, पलान्हा।

विषय :- संदेहास्पद जमावंदी कास सं० 155/16-17
का स्थलीय जांच प्रतिवेदन।

महाराज,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित किया
है कि मौजा पत्नी रिहवा के राजस्व अभिलेख एवं
नक्सा का मिलान करके अंचल अधिकारी के पास स्थलीय
जांच किया। जांच में पाया कि ① मौजा पत्नी रिहवा
के पंजी 11 के पृष्ठ सं० 50/1 पर रजमजदग्रा खाता
सं० 1 के अन्तर्गत प्लॉट सं० 176/496 रकबा 20020
का जमावंदी में सूची देवी पति समोद मल्ल के नाम से
अंकित है।

② पंजी 11 में उक्त भूमि का जमावंदी उत्पन्न होने
के पद परिवर्तन के प्राधिकार में S.D.O. Case No. - 172/02-03
by the order of SDO Medininagar दर्ज है।

③ भूमि का लगान वर्ष 2011-12 तक वसूल है।

④ भूमि पर वर्तमान में मांगधारी का दखल कब्जा
है।

उक्त पत्नी में अनुमंडल पदाधिकारी भविष्यतः
पलान्हा द्वारा व० सं० सं० 172/02-03 द्वारा निर्गत
नक्सा मांगधारी धारी द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
इस प्रकार उक्त जमावंदी संदेहास्पद। अर्थात् सही नहीं
होता है कि उक्त जमावंदी को संदेहास्पद। अर्थात्
जमावंदी से मुक्त किया जा सकता है।

अनेकर सिंह,
म. मांगधारी
5/07/2025


C.I.

विश्वामाजय
चौधरी
व० 21/11/20
देखा-111